

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

फैक्स/ई-मेल

पटना, दिनांक 24/11/2017

संख्या-3/विविध-83/2017- 702 (3) /स्वा0, डा0 प्रमोद झा (वरीयता क्रमांक-3421), सिविल सर्जन, पटना को बिहार कोषागार संहिता संशोधन, 2011 के नियम 84 के तहत अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी कार्यालय पटना का निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी घोषित किया जाता है ।

2. अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, पटना के नियमित पदस्थापन होने के बाद यह व्यवस्था स्वतः समाप्त हो जायेगी ।
3. यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावी होगा ।
4. प्रस्ताव में प्रधान सचिव, स्वास्थ्य का अनुमोदन प्राप्त है ।
5. इस संबंध में पूर्व से निर्गत सभी आदेश को अवकमित समझा जाय ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से


ह0/-

(जगदीश कुमार)

विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक-3/विविध-83/2017- 702 (3) /स्वा0, पटना, दिनांक 24/11/2017
प्रतिलिपि, महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना/अवर सचिव, सचिवालय
मुद्रणालय (प्रशाखा) वित्त विभाग, बिहार, पटना/अवर सचिव, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग बिहार,
पटना/जिलाधिकारी, पटना/क्षेत्रीय अपर निदेशक, पटना प्रमंडल, पटना/डा0 प्रमोद झा, सिविल
सर्जन, पटना/संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि, माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त
सचिव/प्रशाखा पदाधिकारी, 2, 3, 7, 8, 9,10 एवं 12/आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को
विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित ।


विशेष कार्य पदाधिकारी